

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
सं0 :- 03 / भू0अ0नि0(5)विविध(संघ)-25 / 2025... ५६३ पटना, दिनांक २६/०८/२०२५
आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि सुश्री निशा नन्दनी, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN10116) दिनांक 16.08.2025 से अपने कर्तव्य से अनुपस्थित हैं एवं उनके हड्डताल पर जाने की सूचना भेजी गयी है।

बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त सूचना के आलोक में भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक 5307 दिनांक 23.08.2025 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। आरोपित द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है। इनके द्वारा स्पष्टीकरण में अंकित किया गया है कि इनके संघ द्वारा अनुरोध किए गए पाँच सूत्री मांग की पूर्ति नहीं होने के फलस्वरूप ये हड्डताल में शामिल हैं। यह भी अंकित किया गया है कि राजस्व महाअभियान के लिए इनके द्वारा प्रशिक्षण लिया गया था, परन्तु मांग के नहीं पूरा होने के फलस्वरूप राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा पूरे राज्य में चलाए जा रहे महाअभियान का विरोध किया गया है। साथ ही अन्य तथ्य देते हुए स्पष्टीकरण से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

प्राप्त स्पष्टीकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरांत पाया गया कि इनसे जिन बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण किया गया है, उसके विपरीत सर्वथा निराधार, तर्कहीन, बेबुनियाद एवं अनावश्यक तथ्यों का उल्लेख करते हुए स्पष्टीकरण से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

विदित हो कि अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक 2786(9A) दिनांक 29.07.2025 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग/सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग/अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग एवं पंचायती राज विभाग के सहयोग से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आमजनों/रैयतों के भूमि संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु दिनांक 16.08.2025 से राजस्व महाअभियान का आयोजन किया गया है, जिसमें इनकी भी भूमिका निर्धारित की गयी थी जिसे इनके द्वारा स्पष्टीकरण में स्वयं स्वीकार किया गया है।

उक्त महाअभियान प्रारंभ होने की तिथि से ही अनुचित मांगों यथा सेवा नियमित करने, धारित पद को सहायक अभियंता (AE)/कनीय अभियंता, असैनिक (JE)/उच्चवर्गीय लिपिक(UDC) के नियमित नियुक्ति में 05 अंक की अधिमानता तदनुसार समतुल्य वेतन देने के साथ ESIC आदि को लेकर हड्डताल पर ये चले गये हैं।

उपरोक्त मांगों के संदर्भ में स्थिति यह है कि इनका नियोजन बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 एवं संशोधन नियमावली, 2022 के तहत प्रकाशित विज्ञापन के अन्तर्गत किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि पदों का सृजन संविदा आधारित है तथा पदों का नाम विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी/विशेष सर्वेक्षण कानूनगो/विशेष सर्वेक्षण लिपिक एवं विशेष सर्वेक्षण अमीन पदनाम कर्णाकित है, जो एक निश्चित अवधि तक (यथा योजना अवधि तक) के लिए ही किया गया है। नियोजन हेतु इनके द्वारा Terms of Assignment हस्ताक्षरित किया गया है, जिसकी कंडिका-1(ii) में स्पष्ट रूप से "This is a time bound engagement on contract and the personnel cannot and will not claim for any extension or even permanent employment" एवं कंडिका-5(ii) में भी "At no stage you should claim permanent employment with the government" अंकित है। एतद संबंधी घोषणा इनके द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से स्वयं हस्ताक्षरित कर दिया गया है, जिसमें यह भी अंकित है कि "Terms of Assignment की सभी कंडिकाओं को पढ़ व समझ लिया हूँ और मैं Terms of Assignment में लिखी गयी सभी कंडिकाओं को स्वीकार करता हूँ"। साथ ही साथ निदेशालय स्तर पर संधारित वेबसाईट पर अपलोड MIS के आधार पर इनके कार्यों का आकलन किया गया है। अवलोकनोपरांत पाया गया कि इनका कार्य भी संतोषजनक नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के विवेचनोपरांत पाया गया कि ये अचानक बिना नियंत्री पदाधिकारी को सूचना दिए शिविर कार्यालय से अनुपस्थित हो गये एवं हड्डताल में सम्मिलित हो गये हैं। जिस तथाकथित संघ के आहवान पर ये हड्डताल में सम्मिलित हुए हैं, उस संघ की मान्यता किसी भी सक्षम प्राधिकार से नहीं है। साथ ही विशेष सर्वेक्षण कार्यों में भी इन्हें दिए गए लक्ष्य से इनके कार्यों की प्रगति काफी कम है। विशेष सर्वेक्षण का कार्य एक समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसे निर्धारित समय में पूरा किए जाने हेतु पूरी कार्ययोजना निर्धारित है। इनके कर्तव्य से अनुपस्थिति के फलस्वरूप निर्धारित कार्ययोजना में बाधा पहुँची है। साथ ही साथ इनका नियोजन मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत अस्थायी संविदा के पद पर किया गया है, जो एक निश्चित अवधि (योजना अवधि तक) के लिए स्वीकृत है। नियोजन में Terms of Assignment पर भी इनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया है, जिसके लिए इनके द्वारा शपथ पत्र भी समर्पित किया गया है। इसके बावजूद भी संविदा पद को नियमित करने, पदनाम बदलने जैसे आदि मांगों को लेकर हड्डताल पर जाना इनके द्वारा समर्पित प्रतिशपथ पत्र का उल्लंघन है। हस्ताक्षरित शपथ पत्र समर्पित करने के बावजूद मात्र 01 वर्ष की सेवा अवधि में ही सरकारी कार्यों को निष्पादित करने के बजाए अनुचित मांगों के साथ सरकार की जनसरोकार एवं जनकल्याणकारी योजना में बाधा पहुँचाने जैसा कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है एवं ये अपने कार्यों एवं सरकार द्वारा सौंपे गये दायित्वों के प्रति गंभीर नहीं है। साथ ही साथ इनका मांग प्रावधानित नियमावली एवं समर्पित शपथ पत्र के विपरीत है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि इनका आचरण कार्य के प्रति लापरवाही, वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना, संविदा नियोजन हेतु निर्गत सुसंगत नियमों के विपरीत कार्य करना एवं स्वेच्छाचारिता तथा मनमानेपन का परिचायक है। यदि इनकी सेवा बनाए रखी जाती है, तो भविष्य में भी इनके द्वारा इस तरह की पुनरावृत्ति की जाएगी।

अतः बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 एवं संशोधन नियमावली, 2022 के नियम – 8(4) में वर्णित प्रावधान के आलोक में सुश्री निशा नन्दनी, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN10116) का संविदा नियोजन आदेश निर्गत की तिथि से समाप्त किया जाता है।

(जे० प्रियदर्शिनी)

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :— 03 / भू0अ0नि0(5)विविध(संघ)–25 / 2025.....५६७३ पटना, दिनांक :—२०/०८/२०२५

प्रतिलिपि :— सुश्री निशा नन्दनी, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN10116), बंदोबस्त कार्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :— 03 / भू0अ0नि0(5)विविध(संघ)–25 / 2025.....५६७३ पटना, दिनांक :—२०/०८/२०२५

प्रतिलिपि :— बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :— 03 / भू0अ0नि0(5)विविध(संघ)–25 / 2025.....५६७३ पटना, दिनांक :—२०/०८/२०२५

प्रतिलिपि :— संबंधित प्रोग्रामर को आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाप